जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, चतुर्थ, खगड़िया।

बी.ए. नंबर 552/2026

अलौली थाना कांड संख्या 193/2026

आदर्श कुमार बनाम बिहार राज्य।

11.06.2026

काराधीन आवेदक **आदर्श कुमार** जो दिनांक **17.05.2026** से न्यायिक अभिरक्षा में है, के तरफ से दाखिल जमानत आवेदन उनके विद्वान अधिवक्ता श्री संजय कुमार सिंह के द्वारा संचालित किया गया। **इस जमानत आवेदन के पारा 2 में इस बात का प्रमाण पत्र दिया गया है कि आवेदक इसके अतिरिक्त अन्य कोई नियमित या अग्रिम जमानत आवेदन न तो इस न्यायालय में और न ही माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल किया गया है। जमानत आवेदन के पैरा 3 के अनुसार आवेदक का इसके अतिरिक्त एक आपराधिक इतिहास (Excise case no. 736C3/2023) दर्ज है।**

उभय पक्षों को सुना।

प्राथमिकी के अनुसार अभियोजन का कथन संक्षेप में यह है कि सूचक सचिन कुमार के लिखित आवेदक के अधार पर यह है कि दिनांक–10.05.2026 को समय करीब रात 8:30 बजे बुटन महतो, कैलु महतो, आदर्श कुमार एवं गोविन्द कुमार आया। बुटन महतो, जो स्माइक बेचता है और आदर्श सूचक के दरवाजे पर आया और बोला कि हमको मोटरसाईकिल दीजिए, सूचक ने मोटरसाईकिल देने से इंकार कर दिया, जिस कारण उक्त लोग सूचक के साथ गाली–गलौज करने लगा। कैलू महतो जिसके हाथ में लोहे का रड था एवं गोविन्द कुमार आया और धक्का–मुक्की करते हुए मारपीट करने लगा। बुटन ने कहा कि देखता क्या है साले को जान से मार दो, तो कैलू ने जान मारने की नियत से लोहे के रड से सूचक के सिर पर मारा, जिससे उसका सिर फट गया और गहरा जख्म हो गया। आदर्श और गोविन्द ने सूचक के जेब से नगद 4000/ रूपया निकाल लिया। सूचक को बचाने उसकी चाची हेमा देवी आयी तो उसे भी अभियुक्तों ने गलत नियत से कपड़ा फाड़कर अद्धनग्न कर दिया और लात–मुक्का से मारपीट किया। सूचक के चाचा रंजीत सिंह बचाने आये तो कैलू ने जान मारने की नियत से उनके सिर पर लोहे का रड चलाया, छिप जाने के कारण लोहे का रड उनके दायें हाथ पर लगा और हाथ फुल गया। अभियुक्तों ने परिवार समेत जान मारने की धमकी दी। अभियुक्तों ने स्माइक बेचने के लिए सूचक से मोटरसाईकिल मांगा, नहीं देने पर उक्त घटना को अंजाम दिया। सूचक का ईलाज मीनू नर्सिंग होम में हुआ, जहां उसके सिर में 10 टाकां लगा। सूचक के लिखित आवेदक पर यह वाद धारा– 126(2), 115(2), 109, 303(2), 352, 351(2), 351(3), 3(5) बीएनएस के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तर्क दिए है कि आवेदक निर्दोष हैं तथा उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक–17.05.2026 से काराधीन है। आवेदक को आपसी दुश्मनी और द्वेष के कारण और अलौली थाना काण्ड सं0–189/26, जो आवेदक की मां के द्वारा दर्ज कराया गया है, से बचने केलिए इस मामले में झूठा फंसाया गया है। सूचिका ने यह वाद आवेदक पर दबाव डालने के उद्देश्य से

Continue at Page no 2.

लगातार 11.06.2026.

दर्ज कराया है। प्राथमिकी के अनुसार घटना दिनांक–10.05.2026 की है लेकिन प्राथमिकी 15.05.2026 को दर्ज की गई है, जिसका कोई स्पष्ट कारण नहीं दिया गया है। यह मामला अलौली थाना काण्ड सं0–189 / 26 का प्रति–मामला है। प्राथमिकी के अनुसार धारा– 109, 303(2) बीएनएस को छोड़कर सभी जमानतीय है, जो आवदक पर लागू नहीं होती है। आवेदक उचित राशि का जमानत बांड प्रस्तुत करने को तैयार है। अतः आवेदक को जमानत पर मुक्त करने की कृपा की जाए।

विद्वान अपर लोक अभियोजक के द्वारा आवेदक के जमानत आवेदन का विरोध किया गया।

दोनो पक्षों को सुना। मांगा गया विचारण न्यायालय अभिलेख साथ में अद्यतन कांड दैनिकी प्राप्त है। प्राथमिकी के अवलोकन से प्रतीत होता है कि आवेदक प्राथमिकी का नामजद अभियुक्त है, जिस पर कि अन्य अभियुक्तों के साथ मिलकर सूचक सचीन कुमार एवं उनके चाची हेमा देवी ओर चाचा रंजीत सिंह को मारपीट कर जख्मी कर देने का आरोप लगाया गया है। प्राथमिकी में इस आवेदक पर सूचक के जेब से 4000 / रूपया निकाल लने का आरोप लगाया गया है। काण्ड दैनिकी में इस वाद के सूचक सचीन कुमार का जख्म प्रतिवेदन उपलब्ध है जो कि साधारण प्रकृति का कड़े एवं भोथरे पदार्थ द्वारा कारित होना बताया गया है। अन्य अभियुक्तों का जख्म प्रतिवेदन काण्ड दैनिकी में उपलब्ध नहीं है। अभिलेख के अवलोकन से यह पाता हूं कि इस आवेदक पर किसी को भी मारने का सीधा एवं स्पष्ट आरोप नहीं है, जो भी आरोप है वह सार्वभौमिक रूप से सभी अभियुक्तों पर है। अभिलेख से यह भी पाता हूं कि इस आवेदक को दिनांक–17.05.2026 को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है, तब से वह कराधीन है। इस वाद में अनुसंधान अभी जारी है। अभिलेख से यह भी पाता हूं कि उसी दिन की घटना को लेकर आवेदक की मां सविता देवी के द्वारा सूचक पक्ष पर एक प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, जिसका नं0 अलौली थाना काण्ड सं0–189 / 26 है। एक ही दिन की घटना को लेकर दोनों पक्षों ने एक–दूसरे पर वाद–प्रतिवाद किया है। आवेदक दिनांक–17.05.2026 से काराधीन है। अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थतियों तथा आवेदक के काराअवधि को देखते हुए जमानत पर मुक्त किया जाना उचित समझता हूँ।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में आवेदक **आदर्श कुमार** के तरफ से **दस हजार रूपये का बंध पत्र तथा समान राशि के दो प्रतिभूओं साथ** दाखिल करने पर तथा विद्वान न्यायालय के संतुष्टि पर निम्न शर्तों पर जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया जाता है :–

1. **आवेदक का एक जमानतदार उनके परिवार के होगें।**
2. **आवेदकगण इस बात का बचनपत्र देंगे कि वाद के विचारण में सहयोग करेंगे।**

कार्यालय आदेश की एक प्रति विचारण न्यायालय अभिलेख के साथ संबधित न्यायालय में अविलंब भेजें।

हस्ताक्षरित
11/06/26
(प्रवाल दत्ता)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, चतुर्थ,
खगड़िया।
दिनांक 11.06.2026